न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—35 / 2021 (2021 / 72) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुमेरसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. घनश्यामसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतनसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शोभाकवंर पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लादु पिता आसु कुम्हार निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बरदीचन्द्र पिता डालचन्द्र कुम्हार निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हक्मा पिता गोमा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जयराम पिता नन्दा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सायरी पत्नि पारस गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मणसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नाहरमल पिता गोकलचन्द्र महाजन निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रोशन पिता पीरू डांगी निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. काना पिता मन्दरूप गुर्जर निवासी भैरूखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. पारस पिता मंदरूप गुर्जर निवासी भैरूसिंह (भींटा) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. वैणा पिता उदा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थीगण अधिवक्ता

दिनांक—06.07.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के पिता स्व. घीसुसिंह के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी सख्या 1171 रकबा 3.49 है0, आराजी सख्या 1175 रकबा 0.02 है0, आराजी सख्या 1183 रकबा 0.27 है0, आराजी सख्या 1184 रकबा 0.34 है0, आराजी सख्या 1185 रकबा 0.03 है0, आराजी सख्या 1186 रकबा 1.23 है0, आराजी सख्या 1227 रकबा 0.30 है0, आराजी सख्या 1268 रकबा 0.20 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.04 है0 भुमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 59 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की हैं। उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निश[illegible] नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी [illegible] दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, [illegible] आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी[illegible] कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षी[illegible] टालमबाजी का [illegible] देते रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 20.02.2021 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 01.04.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 7 व 9 लगायत 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसमें अकंन किया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1268 रकबा 0.20 है0 अकिंत किया जो गलत है शेष आराजी से मेरे कोई सम्बन्ध नही है एवं प्रार्थीगण व मेरी आराजी के बीच सीमा चिन्ह पुराने मौजुद है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1268 का रकबा 0.20 है0 अकिंत किया जो गलत है उसका रकबा 0.12 है0 ही है तथा मेरी आराजी से 0.08 है0 भूमि ज्यादा लेने की आड़ में पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानुनन स्वीकार योग्य नही है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के पिता स्व. घीसुसिंह के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी सख्ंया 1171 रकबा 3.49 है0, आराजी सख्ंया 1175 रकबा 0.02 है0, आराजी सख्ंया 1183 रकबा 0. 27 है0, आराजी सख्ंया 1184 रकबा 0.34 है0, आराजी सख्ंया 1185 रकबा 0.03 है0, आराजी सख्ंया 1186 रकबा 1.23 है0, आराजी सख्ंया 1227 रकबा 0.30 है0, आराजी सख्ंया 1268 रकबा 0.20 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.04 है0 भुमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 59 पर दर्ज रेकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भु–अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/–रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/–रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें और मौके पर बिना किसी के कब्जे में दखल किये सीमांकन कराया जावे तथा मौके पर खातेदार के अलावा अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे तो पर्चा मौका में इसका अंकन करते हुए उस कब्जे शुदा रकबे को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट में पेश करे एवं खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:47 IST
Reason: SelfAttested

06.07.2021
(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—35 / 2021 (2021 / 72) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. सुमेरसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. देवीसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. घनश्यामसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रतनसिंह पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शोभाकवंर पिता घीसुसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लादु पिता आसु कुम्हार निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बरदीचन्द्र पिता डालचन्द्र कुम्हार निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. हक्मा पिता गोमा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जयराम पिता नन्दा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सायरी पत्नि पारस गुर्जर निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. लक्ष्मणसिंह पिता सवाईसिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. नाहरमल पिता गोकलचन्द्र महाजन निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. रोशन पिता पीरू डांगी निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. काना पिता मन्दरूप गुर्जर निवासी भैरूखेड़ा (भींटा) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. पारस पिता मंदरूप गुर्जर निवासी भैरूसिंह (भींटा) तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. वैणा पिता उदा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 06.07.2021 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के पिता स्व. घीसुसिंह के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त आराजी सख्या 1171 रकबा 3.49 है0, आराजी सख्या 1175 रकबा 0.02 है0, आराजी सख्या 1183 रकबा 0.27 है0, आराजी सख्या 1184 रकबा 0.34 है0, आराजी सख्या 1185 रकबा 0.03 है0, आराजी सख्या 1186 रकबा 1.23 है0, आराजी सख्या 1227 रकबा 0.30 है0, आराजी सख्या 1268 रकबा 0.20 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 6.04 है0 भुमि अन्य आराजी के साथ खाता संख्या 59 पर दर्ज रेकार्ड है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/—रूपये सम्बधित भू—अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जा ... नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत ...

हुक्मनामा आज दिनांक 06.07.2021 को ... हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.07.21 14:04:47 IST
Reason: SelfAttested

6.7.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाडा)